[18/3/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 1256]

परिशिष्ट का प्रपत्र–1

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 1256 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी
बैठक दिनांक 18.03.2020 सदस्य श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह

1. सहकारिता विभाग द्वारा स्वर्ण जंयती योजना में कोई ऋण वितरण नहीं किया जाता इसी प्रकार वर्ष 2014 में हुये गबन पर लोकायुक्त सागर में कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं कराई गई थी अतः उस पर अद्यतन कार्यवाही का विवरण शून्य है।
2. जिला सहकारी केन्दीय बैंक पन्ना एवं छतरपुर द्वारा स्वर्ण जयंती योजना में वितरित ऋण की जांच संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग सागर द्वारा विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 1344 द्वारा माननीय विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह के प्रश्न के आधार पर की गई थी। जिसमें स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों को ऋण वितरण में प्राप्त अनुदान का दुरूपयोगा होना पाया जाने से अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु विभाग द्वारा संबंधितों को निर्देशित किया गया था। जिस पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना में निम्न कार्यवाही हुई –
   अ. स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताएं या गबन के कारण सहायक पंजीयक कार्यालय जिला पन्ना द्वारा 3 एफ.आई.आर. पवई, अमानगंज एवं शहानगर थाना में ऋण उप समिति के तत्कालीन अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, बैंक के तत्कालीन 2 महाप्रबंधक एवं 4 शाखा प्रबंधकों पर प्रकरण प्रचलन में है।
   ब. विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय सागर में श्री सुदर्शन प्रसाद वागरी सहायक लेखापाल तत्कालीन शाखा प्रबधंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा गुन्नौर के विरूद्ध अपराध कमांक 55/16 पंजीबद्ध है, जो प्रचलन में है।
   स. एक प्रकरण थाना देवेन्द्र नगर में अध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, जिगदहा के द्वारा एफ.आई.आर. कमांक 0172 दिनांक 06.08.2016 को समिति जिगदहा में की गई अनियिमितताओं के कारण श्री तस्वीर मोहम्मद सहायक समिति प्रबंधक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई है एंव प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
3. जिला सहकारी केन्दीय बैंक छतरपुर में स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों में किये गये ऋण वितरण में अनुदान का दुरूपयोग पाये जाने पर थाना राजनगर, बड़ामलहेरा एवं घुवारा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई प्रकरण विवेचनाधीन है।

परन्तु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री एन.यू.सिद्दीकी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश आयुक्त सहकारिता के निर्देश के बाद भी नहीं की गई है। इसके लिये बैंक के जनवरी 2019 से वर्तमान तक पदस्थ महाप्रबंधक उत्तरदायी है।

अनुभाग अधिकारी

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.,भोपाल

परिशिष्ट का प्रपत्र–2

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1256 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी
बैठक दिनांक 18.03.2020 सदस्य श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह

1. संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री एन.यू. सिद्दीकी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपेक्स बैंक द्वारा दोषी पाया जाकर सेवानियम के अंतर्गत आदेश क्रमांक 205 दिनांक 23.04.2018 से एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है। श्री मिलिन्द सहस्त्रबुद्धे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेश क्रमांक 1895 दिनांक 01.11.2019 से एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है। इसी के साथ जिला सहकारी केन्दीय बैंक पन्ना के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के. एल. रायकवार के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन की स्वीकृति अपेक्स बैंक द्वारा दी गई है।
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर के उत्तरदीय कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विवेचना के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना के कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विवेचना के उपरांत कोई कार्यवाही की जावेगी।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.,भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग